प्रेस नोट दिनांक 19.11.2025

थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़

अन्तू थाना क्षेत्र की हत्या का थाना अंतू पुलिस द्वारा सफल अनावरण, पुत्र सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार, 01 चाकू बरामद

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में विशेष टीमों द्वारा घटना का सफल अनावरण- उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण, स्वॉट टीम एवं फील्ड यूनिट सक्रिय

पुत्र द्वारा अपने साथिओं के साथ की थी पिता की हत्या, गिरफ्तार अभियुक्तों से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल चाकू बरामद

अन्तू थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव—हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था

अभियोग में धारा 3(5) बीएनएस तथा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी

गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा घटना की स्वीकारोक्ति—पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता

प्रतापगढ़।

वादिनी निवासी ग्राम घोरहा, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना अंतू पर दी गई तहरीर में उल्लेख किया गया कि दिनांक 15.11.2025 की रात्रि में उनके पति खेत पर गए थे तथा दिनांक 16.11.2025 को दिन में उनका शव गांव के ही एक खेत में सागौन-सफेदा के पेड़ों के बीच झाड़ियों में संदिग्ध अवस्था में पाया गया। मृतक के गले का कुछ भाग क्षत-विक्षत अवस्था में पाया गया था। वादिनी के अनुसार किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके पति की हत्या की गई है। तहरीर के आधार पर थाना अंतू पर मु0अ0सं0 372/2025, धारा 103(1), 238 बीएनएस बनाम अज्ञात अभियोग पंजीकृत किया गया।

घटना की सूचना पर उच्चाधिकारीगण द्वारा मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया तथा घटनास्थल पर आवश्यक साक्ष्यों के संकलन हेतु स्वॉट टीम एवं फील्ड यूनिट को बुलाया गया। घटनास्थल एवं आसपास के क्षेत्रों में तकनीकी एवं भौतिक साक्ष्यों के आधार पर सूक्ष्म निरीक्षण किया गया।

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में घटना के शीघ्र अनावरण हेतु विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा निरंतर साक्ष्य संकलन, स्वॉट टीम एवं फील्ड यूनिट की तकनीकी सहायता तथा संभावित स्थानों पर लगातार दबिश दी जा रही थी। सतत एवं समन्वित प्रयासों के फलस्वरूप पुलिस टीमों द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए इसमें संलिप्त अभियुक्तगणों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के पर्यवेक्षण/ नेतृत्व में थाना प्रभारी अंतू श्री आनन्द पाल सिंह मय हमराह निरीक्षक अपराध श्री विनोद कुमार यादव, उ0नि0 श्री सुरेश कुमार यादव, हे.का. ऋषिकेश यादव, का० आदित्य कुमार मिश्रा, म0का0 ज्योति सिंह मय का0 चालक रामेश्वर व मय चालक का0 अजय चौहान द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 372/2025, धारा 103(1), 238 बीएनएस से संबंधित 03 अभियुक्तों, 01. शिवम शुक्ला पुत्र स्व0 शिवशंकर शुक्ला उम्र लगभग 22 वर्ष निवासी घोरहा थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ को थाना अंतू क्षेत्रान्तर्गत ककरहा चौराहे के पहले पावर हाउस पुलिया के पास व 02. उमेश पुत्र रामलखन उम्र लगभग 28 वर्ष, 03. महेन्द्र सिंह चौहान पुत्र रामप्रसाद उम्र लगभग 26 वर्ष निवासीगण लोहंगपुर थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़ को थाना अंतू क्षेत्रान्तर्गत लोहंगपुर हाइवे बाईपास पुल के पास गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल चाकू बरामद की गई, इस संबंध में उपरोक्त अभियोग में धारा 3(5) बी0एन0एस0 व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गई।

अभियुक्तों से पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि हम लोगों ने मृतक शिवशंकर शुक्ला के पुत्र शिवम शुक्ला के साथ मिलकर उसकी सहमति से योजना बनाकर उसके पिता शिवशंकर शुक्ला की हत्या की थी। इस बारे में सभी को जानकारी हो गई इसलिए हम सभी लोग घटना के बाद से ही छिपे-छिपे घूम रहे थे। आज हम दोनों यहां से बाहर जाने के लिए यहां पर खड़े होकर वाहन का इन्तजार कर रहे थे कि आप लोग आ गये। घटना की स्वीकारोक्ति करते हुए दोनों अपनी- अपनी गलती की माफी मांगने लगे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. शिवम शुक्ला पुत्र स्व0 शिवशंकर शुक्ला उम्र लगभग 22 वर्ष निवासी घोरहा थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।

02. उमेश पुत्र रामलखन उम्र लगभग 28 वर्ष,

03. महेन्द्र सिंह चौहान पुत्र रामप्रसाद उम्र लगभग 26 वर्ष निवासीगण लोहंगपुर थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल चाकू बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

थाना प्रभारी अंतू श्री आनन्द पाल सिंह मय हमराह निरीक्षक अपराध श्री विनोद कुमार यादव, उ0नि0 श्री सुरेश कुमार यादव, हे.का. ऋषिकेश यादव, का० आदित्य कुमार मिश्रा, म0का0 ज्योति सिंह मय का0 चालक रामेश्वर व मय चालक का0 अजय चौहान थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़।

स्वाट टीम/सर्विलांस टीम -(एसओजी)

उ0नि0 अमित चौरसिया (SOG प्रभारी) मय हमराह उपनिरीक्षक दिनेश सिंह, हे.का. धनंजय राय, हे.का. मोहित राज यादव, का. जागीर सिंह, का. आशुतोष पांडे, का. मो. सलमान, का. अरविंद दुबे, का. राजेंद्र कुमार, सर्विलांस सेल से का. सनोज, का. सूर्य प्रताप सिंह तथा चालक हे.का. राजेंद्र प्रसाद सिंह।

प्रेस नोट दिनांक-19.11.2025

थाना रानीगंज , जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट, अपहरण के अभियोग से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना रानीगंज प्रभारी निरीक्षक श्री प्रभात कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 कामता प्रसाद सिंह मय हमराह का०विनोद कुमार सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त, दबिश के दौरान अन्तर्गत धारा 137 (2)/87/64 (1) BNS व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना रानीगंज, प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त पवन पुत्र राजेन्द्र निवासी नगल भल्ला थाना बल्देव जनपद मथुरा उम्र करीब 22वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अभियुक्त पवन पुत्र राजेन्द्र निवासी नगल भल्ला थाना बल्देव जनपद मथुरा उम्र करीब 22वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 कामता प्रसाद सिंह मय हमराह का०विनोद कुमार सिंह थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 19.11.2025

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में,

थाना लालगंज के उ0नि0 अशोक कुमार यादव मय हमराह का0 सुमित कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित/वारण्टी अभियुक्त के दौरान मु0नं0 483/25 अ0सं0 550/19 धारा 147,148,149,452,427, 323,504,506,325 भादवि थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 नफर वारण्टी नन्हकू पुत्र बुधई नि0 विश्राम का पुरवां जेवई थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. नन्हकू पुत्र बुधई नि0 विश्राम का पुरवां जेवई थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 19.11.2025,

थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना कुण्डा पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास व एससी/ एसटी के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त नितिन मौर्या को 01 अदद चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया-

अभियुक्त को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत मोती का पुरवा तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया, साथ घटना में प्रयुक्त 01 अदद चाकू को बरामद किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण -

आरोपी नितिन मौर्या द्वारा दिनांक 17.11.2025 को नई बाजार शराब ठेके के पीछे आपसी विवाद को लेकर वादी के साथ गाली गलौज करते हुए मारना पीटना व जान से मारने की नियत से चाकू से वार कर गम्भीर रुप से घायल कर देना। जिसके सम्बंध वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर

मु0अ0स0 315/25 धारा **115(2), 352, 351(3), 109(1)** बीएनएस व **3(1)**द,**3(1)**ध,**3(2)(VA) SC/ST ACT** पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कुण्डा श्री अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार वर्मा व उ0नि0 दुर्गेश सिंह मय हमराह हे0का0 शिशुपाल सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर **मु0अ0स0 315/25** धारा **115(2), 352, 351(3), 109(1)** बीएनएस व **3(1)**द,**3(1)**ध,**3(2)(VA) SC/ST ACT** से संबंधित **01** अभियुक्त नितिन मौर्या पुत्र सुभाष चन्द्र मौर्या नि० दिलेरगंज थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ को घटना में प्रयुक्त **01** अदद चाकू के साथ थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत मोती का पुरवा तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने बताया कि घटना में प्रयुक्त चाकू को नई बाजार ठेके के पीछे बाग में छुपा कर रख दिया है यदि आप चले तो हम बरामद करा सकते है। अभियुक्त की निशानदेही पर **01** अदद चाकू बरामद की गई है। बरामद चाकू के बारे में बताया कि इसी चाकू से मैने कल घायल के ऊपर जान से मारने की नियत से वार किया था तथा लड़ाई के बाद भागकर यही पर आकर बाग में छुपा दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. नितिन मौर्या पुत्र सुभाष चन्द्र मौर्या नि० दिलेरगंज थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त **01** अदद चाकू बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार वर्मा व उ0नि0 दुर्गेश सिंह मय हमराह हे0का0 शिशुपाल सिंह थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।